



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 10-11-2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त गौरव के कस्बा बडौत में बने मकान कीमत लगभग 14.30 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 10.11.2022 को थाना बडौत पुलिस द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 260/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त गौरव पुत्र वीरेन्द्र निवासी इमली वाली गली गांधी रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के कस्बा बडौत में



रिहायसी भूमि 166.40 वर्ग मीटर पर बने मकान कीमत लगभग 14.30 लाख रुपये को जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी बडौत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया।

अभियुक्त गौरव पुत्र वीरेन्द्र निवासी इमली वाली गली गांधी रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 903/20 धारा 364ए/392/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 260/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 10-11-2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त अभिषेक के कुन्दनपुरी कस्बा बडौत में बने मकान कीमत लगभग 04.52 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 10.11.2022 को थाना बडौत पुलिस द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 260/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त अभिषेक पुत्र रमेश निवासी कुन्दनपुरी रेलवे रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के कस्बा बडौत में रिहायसी भूमि 64.38 वर्ग मीटर पर बने मकान कीमत लगभग 04.52 लाख रुपये को जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी बडौत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया।



अभियुक्त अभिषेक जैन पुत्र रमेशजैन निवासी कुन्दनपुरी रेलवे रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 903/20 धारा 364ए/392/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 260/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 10.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशादेही से चोरी की हुई 12 मो0सा0 व 03 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 05-11-2022 को थाना बडौत पर वादी नन्दवीर पुत्र चन्द्रमल निवासी वेदविहार कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि वह कस्बा बडौत में स्थित बियर की दुकान पर सेल्समैन है, उसकी मो0सा0



स्प्लेंडर नं0 UP-15BW-7461 को उसकी दुकान के बाहर से किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। इस संबंध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1064/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

2- दिनांक 07-11-2022 को थाना बडौत पर वादी अनुज पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत ने सूचना दी कि उसके घर के बाहर खडी मो0सा0 बजाज डिस्कवर नं0 UP-17C-8399 को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1072/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे/निशादेही से चोरी की हुई 12 मोटर साईकिल व 03 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वह सब मिलकर गाजियाबाद, लोनी, बुढाना एनसीआर व जनपद बागपत क्षेत्र से मोटरसाईकिल चोरी करते हैं तथा चोरी की हुई मोटरसाईकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर सस्ते दामों में बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नितिन पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम बरवाला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2-अमित पुत्र वीरसैन निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-विकास पुत्र अनन्तपाल सिंह निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत।
- 4-विनेश उर्फ कल्लू पुत्र अजबसिंह निवासी शाहपुर बडौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

● चोरी की हुई 12 मोटर साईकिल-

- 1-मो0सा0 स्प्लेंडर प्रो0 नं0 UP-15BW-7461 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 1064/22 धारा 379 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत)
- 2-मो0सा0 डिस्कवर नं0 UP-17C-8399 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 1072/22 धारा 379 भादवि थाना बडौत बागपत)
- 3- मो0सा0 यामाह DL-5SBN-0737 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 1092/18 धारा 379 भादवि थाना सिहानी गेट गा0बाद)
- 4-मो0सा0 पेशन प्रो नं0 BRO-1C-4913 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 176/22 धारा 379 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद)
- 5- मो0सा0 स्प्लेंडर नं0 UP-57B-0739
- 6- मो0सा0 स्प्लेंडर प्लस UP-12BD-7056 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 443/22 धारा 379 भादवि थाना बुढाना मुजफ्फरनगर)
- 7-मो0सा0 स्प्लेंडर नं0 HR-06H-9241
- 8-मो0सा0 सीडी 100 SS नं0 DL-7S-5138

9-मो0सा0 स्प्लेंडर नं0 HR-42E-5410

10-मो0सा0 स्प्लेंडर बिना नम्बर प्लेट ।

11-मो0सा0 सूपर स्प्लेंडर बिना नम्बर प्लेट ।

12-मो0सा0 प्लेटिना बिना नम्बर प्लेट ।

- 03 फर्जी नम्बर प्लेट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना बडौत ।

2-उ0नि0 श्री कैलाशनाथ थाना बडौत ।

3-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत ।

4-है0का0 120 मनोज कुमार थाना बडौत ।

5-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत ।

6-का0 403 नितिन कुमार थाना बडौत ।

7-का0 166 कुलदीप देशवाल थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 10-11-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त मुन्नू पुत्र रूपचन्द व बबलू पुत्र रूपचन्द के ग्राम शौभापुर में बने मकान कीमत लगभग 15.08 लाख रुपये को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 10.11.2022 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाना सिंघावली अहीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 25/22 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त मुन्नू पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम शौभापुर थाना सिंघावली अहीर जनपद



बागपत के ग्राम शौभापुर में रिहायसी भूमि 61.98 वर्ग मीटर पर बने मकान कीमत लगभग 10.96 लाख रुपये तथा बबलू पुत्र रूपचन्द निवासीगण ग्राम शौभापुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के ग्राम शौभापुर में रिहायसी भूमि 21.96 वर्ग मीटर पर बने मकान कीमत लगभग 04.12 लाख रुपये (दोनो भाईयो के मकान की कुल कीमत लगभग 15.08 लाख रुपये) को जब्त कर श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत जनपद बागपत को सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया ।

अभियुक्त मुन्नू पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम शौभापुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 183/21 धारा 394/411/120बी/34 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 347/21 धारा 506 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3- मु0अ0सं0 25/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-वाद सं0 131/21 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

5- वाद सं0 39/21 धारा 3 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

अभियुक्त बबलू पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम शौभापुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 183/21 धारा 394/411/120बी/34 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 347/21 धारा 506 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3- मु0अ0सं0 25/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-वाद सं0 98/21 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

5-वाद सं0 09/21 धारा 3 यूपी गुण्डा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 10.11.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 02 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 1 खोखा कारतूस तथा चोरी की गई एक वैगनआर कार फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.11.2022 को थाना खेकड़ा पर वादी रोहित पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी गोविन्द बिहार ससोली जनपद यमुना नगर हरियाणा ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 02.11.22 को वह दिल्ली से चार व्यक्तियों को लेकर रूडकी के लिए जा रहा था, रास्ते में गाडी में सवार व्यक्तियों ने खेकड़ा से



एक व्यक्ति और बैठाने को कहा । खेकड़ा पहुंचने पर उन्होंने उसको को चाय के लिए कहा जैसे ही वह गाडी से उतरा और चाय पिये लगा तो गाडी में सवार व्यक्ति उसकी गाडी को लेकर फरार हो गए । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 492/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 02 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 1 खोखा कारतूस व चोरी की हुई एक वैगनआर कार फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- आकाश शर्मा पुत्र रविन्द्र शर्मा गांव दुढवा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- मोहित उर्फ अंकित पुत्र सनेष ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
हाल निवासी स्वतन्त्रतानगर नरेला थाना नरेला दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस.315 बोर ।
- चोरी की हुई एक वैगनआर कार फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 362/20 धारा 307 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2- मु0अ0सं0 365/20 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3- मु0अ0सं0 366/20 धारा 414/419/420/467/468/471 भादवि चालानी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शिववीर सिंह थाना खेकडा ।
- 2-का0 335 राकेश कुमार थाना खेकडा ।
- 3- का0 217 राधेश्याम थाना खेकडा ।
- 4- का0 995 अभयप्रताप थाना खेकडा ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 10.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम पता-

1-इजराईल पुत्र रोजूदीन निवासी बोहला थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह ।

2-का0 262 कवित कुमार ।

3-का0 257 बलजीत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 10-11-2022

थाना छपरौली पुलिस ने एक जिला बंदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा जिलाबंदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशो का उल्लंघन करते हुए जिलाबंदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिला बंदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मांगेराम पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 314/2017 धारा 307/506 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
2. मु0अ0स0 315/2017 धारा 25/27 ए एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3. मु0अ0स0 489/2018 धारा 63 आब0अधि0 थाना छपरौली जनपद बागपत ।
4. मु0अ0स0 329/2022 धारा 3/10 गुन्डा अधिनियम थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार त्यागी ।
- 2-का0 953 अंकुल



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 10.11.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 401/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शादाब पुत्र कल्लू निवासी कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी की विवरण-

- एक अवैध छुरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है०का० 378 बलराज सिंह थाना सिंघावली अहीर ।

2-का० 44 संजीव कुमार थाना सिंघावली अहीर



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 10.11.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 403/22 धारा 307/504/506 भादवि मे वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक मोटरसाईकिल पलसर बरामद ।

सांक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.11.2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री अनिल पुत्र रजन निवासी थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत ने लिखित सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.अभिनव उर्फ गाँधी पुत्र प्रदीप व 2.दीपेन्द्र पुत्र श्यौबीर निवासीगण ग्राम हिसावदा



थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा उसके साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गई तथा जान से मारने की नियत से उस पर फायर किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 403/22 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस

द्वारा थाने के मु0अ0सं0 403/22 धारा 307/504/506 भादवि से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक मोटरसाईकिल पलसर नं0 UP-17H-9916 बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अभिनव उर्फ गाँधी पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-दीपेन्द्र पुत्र श्यौबीर निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
- एक मोटरसाईकिल पलसर नं0 UP-17H-9916

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनेद कुमार थाना सिंघावली अहीर।

2-का0 44 संजीव कुमार थाना सिंघावली अहीर।

3-का0 1076 विकास यादव थाना सिंघावली अहीर।

4-का0 594 सरफराज खान थाना सिंघावली अहीर।